चंडीगढ़ प्रशासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

सं.: 27/आईटी/2005/2122 **दिनांक 14 मार्च, 2005**

चंडीगढ़ प्रशासन के लिए एसईजेड नीति

1. प्रस्तावना : जबकि रोजगार पैदा करने, निर्यात बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में आईटी, आईटी समर्थित सेवा तथा व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों से युक्त ज्ञान उद्योग सहित सामान्यतया उद्योग को बढ़ावा देना आवश्यक एवं समीचीन समझा जाता है।

इसलिए, प्रशासन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना को बढ़ावा देगा जो औद्योगिक / आईटी हैबिटेट होंगे जिसमें निवेश करने वाली कंपनियां एकल खिड़की क्लीयरेंस प्राप्त करेंगी और भारत सरकार की एसईजेड नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगी।

2. आवश्यकता : चंडीगढ़ विकासशील शहर है और यह इस क्षेत्र का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इसने अपने आपको समृद्ध मानव संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित किया है जो किसी आधुनिक उद्योग, विशेष रूप से आईटी, आईटीईएस और बीपीओ तथा सेवा क्षेत्र के विकास एवं स्थापना के लिए आवश्यक है। इसलिए, चंडीगढ़ तथा इस क्षेत्र के योग्य एवं रोजगार योग्य युवाओं को पर्याप्त संख्या में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में पर्याप्त संख्या में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित किए जाने चाहिए जो निवेश के लिए भारत और विदेश से चंडीगढ़ में उद्योग को आकर्षित करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो तेजी से विकसित हो रहा है और जिसमें भारी संख्या में रोजगार प्रदान करने की संभावना है, को एसईजेड के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। एसईजेड के संबंध में भारत सरकार की नीतियां बहुत आकर्षक हैं और इसलिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में एसईजेड की स्थापना को संभव बनाना प्रशासन द्वारा आवश्यक समझा जाता है।

3. परिभाषाएं :

(I) **इस नीति में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो, -**

(क) "सुविधाओं'' का अभिप्राय बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं जैसे कि सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रबंधन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक पार्क तथा ऐसी अन्य सामुदायिक सुविधाओं या सेवाओं से है जिसे प्रशासन इस नीति के प्रयोजनार्थ सुविधा के रूप में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(ख) "एसईजेड प्राधिकरण'' का अभिप्राय एसईजेड नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए इस नीति के तहत स्थापित प्राधिकरण से है।

(ग) "विकासक'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, कंपनी, फर्म तथा ऐसे अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है जो एसईजेड में संपूर्ण अवसंरचना सुविधाओं या उसके किसी भाग का विकास करता है, निर्माण करता है, डिजाइन करता है, आयोजन करता है, बढ़ावा देता है, प्रचालन करता है, अनुरक्षण या प्रबंधन करता है।

(घ) "विकास आयुक्त'' का अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय बोर्ड के विकास आयुक्त से है।

(ङ) "अवसंरचना सुविधाओं'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सामाजिक अवसंरचना या किसी अन्य सुविधा से है।

(च) "अधिभोक्ता'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी साइट या भवन का अधिभोक्ता है तथा इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस शामिल हैं।

(छ) "प्रचालक'' का अभिप्राय संपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्र में या किसी भाग में अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने में विकासक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(ज) "यूनिट'' का अभिप्राय ऐसी यूनिट से है जो एकल खिड़की समिति द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अनुमोदित की गई है।

(झ) "एकल खिड़की समिति'' का अभिप्राय इस नीति के तहत गठित एकल खिड़की समिति से है।

(ञ) "क्षेत्रीय बोर्ड'' का अभिप्राय केंद्र सरकार की एसईजेड योजना के तहत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास बोर्ड से है।

4. तौर-तरीके : प्रशासन द्वारा एसईजेड योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित एवं चरणबद्ध ढंग से एसईजेड स्थापित किए जाएंगे। एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन प्रशासन के संबंधित विभाग द्वारा परियोजना के ब्यौरों तथा एसईजेड स्थापित करने के कारणों तथा इस संबंध में प्रकार्यात्मक तौर-तरीकों को उल्लेख करने वाली परियोजना रिपोर्ट के साथ वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार को अग्रेषित

किया जाएगा। एसईजेड से संबंधित सभी मामलों, आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा एकल खिड़की समिति गठित की जाएगी।

चंडीगढ़ प्रौद्योगिकी पार्क जैसी मौजूदा परियोजनाओं / प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए प्रशासन परियोजना को एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत करेगा ताकि एसईजेड में निवेश करने वाली कंपनियों को एसईजेड योजना के लाभ प्राप्त हो सकें। मौजूदा योजनाएं जैसे कि भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) योजना जो ऐसी परियोजना / पार्कों पर लागू है, भी लागू बनी रहेगी, जहां अनुमत होगा।

5. सुविधाएं : चंडीगढ़ प्रशासन तथा एसईजेड प्राधिकरण एसईजेड में स्थित यूनिटों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे :

(I) विद्युत आपूर्ति : विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी प्रयोग्य लाभ जिसे प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में औद्योगिक / आईटी / आईटीईएस / बीपीओ यूनिटों के लिए घोषित किया है, एसईजेड में लागू होंगे।

एसईजेड के विकासक को स्वतंत्र विद्युत संयंत्र (आईपीपी) स्थापित करने की अनुमति होगी तथा उसे एसईजेड के लिए उत्पादन एवं पारेषण तथा वितरण सहित एसईजेड को विद्युत के समर्पित प्रावधान की स्थापना करने की अनुमति होगी। विकासक इस प्रयोजन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग तथा अन्य एजेंसियों जैसे कि पावर ग्रिड और बीबीएमबी के साथ सहयोग करेगा।

(II) जलापूर्ति : एसईजेड प्राधिकरण एसईजेड के अंदर पानी की पर्याप्त आपूर्ति का सुनिश्चय करेगा। चंडीगढ़ प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग एसईजेड की सीमाओं तक अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। एसईजेड प्राधिकरण को समुचित प्रभारों के भुगतान पर एसईजेड में ऐसी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग से अनुरोध करने की आजादी होगी।

(III) पर्यावरण : एसईजेड के अंदर यूनिटों तथा गतिविधियों के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति तथा अन्य अपेक्षित स्वीकृतियां एसईजेड के नामित विकास आयुक्त के प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में काम करने वाली एकल खिड़की समिति (एसडब्ल्यूसी) द्वारा प्रदान की जाएंगी। जो गतिविधियां / परियोजनाएं पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 (4 मई, 1994 को यथा संशोधित) तथा पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक जुलाई,

2004 के दायरे में आती हैं उनको भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यदि भारत सरकार नामित विकास आयुक्त या एसईजेड के अंदर अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित करती है, तो तदनुसार स्वीकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

(IV) बिक्री कर, शुल्क, स्थानीय कर तथा लेवी :

एसईजेड तथा एसईजेड के अंदर यूनिटों और ऐसे एसईजेड के विकासकों को भी निम्नलिखित स्थानीय करों से छूट प्राप्त होगी :

(क) बिक्री कर / वैट
(ख) क्रय कर
(ग) संपत्ति कर
(घ) स्टांप ड्यूटी
(ङ) विद्युत शुल्क

एसईजेड के अंदर यूनिटों / स्थापनाओं के बीच सभी लेनदेन के संबंध में और यूनिटों / स्थापनाओं को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में, यदि लेनदेन के संबंध में कानूनी अड़चनों के कारण ऐसी सीधी छूट संभव नहीं होगी, तो प्रशासन द्वारा ऐसी पात्र यूनिटों को उपर्युक्त स्थानीय करों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(V) श्रम विनियम : श्रम आयुक्त, चंडीगढ़ प्रशासन की शक्तियां एसईजेड के अंदर क्षेत्र के संबंध में नामित विकास आयुक्त या अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएंगी।

एकल खिड़की समिति (एसडब्लयूसी) नियमों के अनुसार एसईजेड के अंदर यूनिटों / विकासकों द्वारा अपेक्षित किसी आवेदन के संबंध में अनुमति प्रदान करेगी। अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, एसईजेड के विकास आयुक्त या अन्य नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति एसईजेड के अंदर स्थित यूनिटों एवं अन्य स्थापनाओं के संबंध में श्रम आयुक्त द्वारा निरीक्षण के लिए अपेक्षित होगी। एसईजेड की सभी यूनिटों एवं अन्य स्थापनाओं को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर यथालागू औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत "सार्वजनिक यूटिलिटी सेवा'' के रूप में घोषित किया जाएगा।

(VI) कानून व्यवस्था : प्रशासन तथा एसईजेड का विकासक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसईजेड के अंदर और आसपास उपयुक्त एवं अनन्य व्यवस्था करेंगे।

(VII) एसईजेड प्रबंधन सोसाइटी : चंडीगढ़ प्रशासन ऐसी गतिविधियों जो संबंधित एसईजेड के अनुरक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं, के संचालन के लिए एसईजेड प्रबंधन सोसाइटी स्थापित करेगा और/या इनकी स्थापना में सहायता प्रदान करेगा।

(VIII) एकल खिड़की समिति : चंडीगढ़ प्रशासन अपने किसी विभाग से संबंधित आवेदनों की प्रोसेसिंग / अनुमति को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक एसईजेड के लिए एक एकल खिड़की समिति (एसडब्ल्यूसी) स्थापित करेगा। यह सुविधा एसईजेड के विकासकों के अलावा एसईजेड के अधिभोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी। एसईजेड प्राधिकरण के विकास आयुक्त एकल खिड़की समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें इंजीनियरिंग विभाग, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, श्रम आयुक्त, नगर निगम, आईटी विभाग / उद्योग विभाग आदि जैसे सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(IX) भूमि अधिग्रहण : चंडीगढ़ प्रशासन एसईजेड के लिए अपेक्षित भूमि के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया संचालित करेगा तथा एसईजेड के संबंधित विभाग / विकासक को ऐसी भूमि अंतरित करेगा। जहां संभव होगा, अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियमानुसार गति प्रदान की जाएगी।

5. एसईजेड के विकासक के कार्य :

(क) एसईजेड का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और एसईजेड में अवसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रावधान करना विकासक की जिम्मेदारी होगी।

(ख) उपधारा(1) के सामान्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकास निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन कर सकता है, अर्थात :

i. **चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना;**

ii. **चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा यथा अनुमोदित मास्टर प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करना;**

iii. **एसईजेड की सीमाओं या इसकी सीमा में किसी परिवर्तन का निर्धारण करने वाली सारवान चारदीवारी खड़ी करना;**

iv. **चंडीगढ़ प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार भवन खड़ा करना।**

(ग) **विकासक द्वारा प्रभार लगाया जाना : विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई सुविधा और अवसंरचना सुविधा प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के प्रयोजनार्थ विकासक किसी साइट या भवन पर तर्कसंगत प्रभार लगा सकता है, जो आवश्यक समझा जाएगा।**

(घ) **विकासक द्वारा अवसरंचना या सुविधा के लिए प्रावधान :**

i. **कोई अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकासक किसी सह-विकासक, ऑफजोन आपूर्तिकर्ता, प्रचालक या किसी सरकारी या निजी एजेंसी की तैनाती कर सकता है।**

ii. **जहां कोई अवसंरचना या सुविधा प्रदान की जाती है, विकासक को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के लिए प्रभार लगाने की शक्ति होगी।**

iii. **विकासक अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी को प्रयोक्ता प्रभार की वसूली करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।**

6. एसईजेड समिति : चंडीगढ़ प्रशासन एसईजेड की स्थापना में सुगमता प्रदान करने तथा एसईजेड के संबंध में समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगा। इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :

i. **वित्त सिचव**
ii. **सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी**
iii. **उद्योग सचिव**
iv. **आयुक्त, नगर निगम**
v. **श्रम आयुक्त सह संपदा अधिकारी**
vi. **एमडी – सिटको**
vii. **मुख्य वास्तुकार**
viii. **मुख्य अभियंता**
ix. **उद्योग निदेशक**
x. **सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक**

अनुबंध-1

उद्योगों / सेवाओं की सूची निम्नलिखित है जो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थापित की जाने वाले एसईजेड के अंग हो सकते हैं :

1. **सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सेवाओं, आईटीईएस, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ सेवाएं), साफ्टवेयर सेवाएं**
2. **इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर / कंप्यूटर हार्डवेयर**
3. **जैव प्रौद्योगिकी / नैनो प्रौद्योगिकी**
4. **वित्तीय सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र**
5. **पर्यटन**
6. **ग्रीन फील्ड विनिर्माण**
7. **उद्योग का कोई अन्य प्रकार जिसे प्रशासन आगे चलकर इस नीति का अंग बनने के लिए अधिसूचित कर सकता है।**

(एस के संधु)
वित्त सचिव एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
चंड़ीगढ़ प्रशासन